(पीठासीन अधिकारी प्रमाा ...) ...
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./51/2022

1. बन्नूसिंह पुत्र श्री छगना जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय अजमेर
2. निरसिंह पुत्र श्री छगना जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय अजमेर
3. गुमानसिंह पुत्र श्री छगना जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रज्जाक पुत्र शाहबुददीन जाति लौहार निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
2. बाबू पुत्र शाहबुददीन जाति लौहार निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
3. सलीम पुत्र शाहबुददीन जाति लौहार निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
4. इकराम पुत्र शाहबुददीन जाति लौहार निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
5. इब्राहिम पुत्र शाहबुददीन जाति लौहार निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
6. हेमराज पुत्र मिठूलाल जाति नट निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
7. सुदर्शन पुत्र मिठूलाल जाति नट निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर
8. नारायण पुत्र श्रीकिशन जाति नट निवासी पड़ांगा तहसील भिनाय, अजमेर(विलोपित)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा पड़ांगा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता संख्या 212 में दर्ज खसरा नं. 1112 रकबा 0.18 है0, ख0नं. 1113 रकबा 0.47, ख0नं. 1118 रकबा 0.16 एवं खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.16 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 08 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 07 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 07 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 08 को जारी नोटिस फौत सूचना के साथ प्राप्त हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी मृतक नारायण पुत्र श्रीकिशन से प्रार्थीगणों को कोई अनुतोष नहीं चाहिए। प्रश्नगत आराजी में अप्रार्थी संख्या 08 से संबंधित कोई विवाद नहीं है और ना ही अप्रार्थी संख्या 08 प्रार्थीगणों का पड़ोसी है। अतः अप्रार्थीयां संख्या 08 नारायण पुत्र श्रीकिशन का नाम पत्रावली से विलोपित किया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा उक्त बाबत असहमति प्रकट की। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

सी0पी0सी0 अनुतोष योग्य होने से अप्रार्थीयां संख्या 08 का नाम विलोपित किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम पड़ांगा का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा पड़ांगा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता संख्या 212 में दर्ज खसरा नं. 1112 रकबा 0.18 है0, ख0नं. 1113 रकबा 0.47, ख0नं. 1118 रकबा 0.16 एवं खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.16 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.97 हैं0,** प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **सिंगावल** को 1000/–(एक हजार रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बावत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner